न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्याः 267/2014

दर्ज दिनांकः 14/11/2014

निर्णय दिनांक :13/04/2017

संशोधित शीर्षक

जगदीश सिंह पुत्र स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासीः झराना, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

1. अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह
3. जयसिंह पुत्र मोती सिंह
4. इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह
5. राजकंवर पुत्री मोती सिंह
6. सोहन सिंह पुत्र छीतर सिंह
7. राघवेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिंह
8. प्रताप सिंह पुत्र छीतर सिंह
9. हरिओम सिंह पुत्र छीतर सिंह
10. शेरसिंह पुत्र गंगासिंह
11. शेरसिंह पुत्र गंगासिंह
12. मूलसिंह पुत्र नारायण सिंह
13. चेनसिंह पुत्र फतेह सिंह
14. अजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

15. बजरंग सिंह पुत्र फतेह सिंह (फौत)

15/1 भीम सिंह पुत्र बजरंग सिंह

15/2 कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह

15/3 विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह,

16. भंवर सिंह पुत्र फतेह सिंह

17. हरिसिंह पुत्र रतन सिंह

18. पन्ने सिंह पुत्र रतन सिंह

19. संग्राम सिंह पुत्र रतन सिंह

20. सावत सिंह पुत्र रतन सिंह

21. मगन सिंह पुत्र उदय सिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासीः झराना, तहसील फागी, जिला जयपुर।

22. दिनेश कुमार आकड पुत्र भगवान सहाय आकड जाति महाजन निवासीः सी–13 सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

23. भंवर लाल पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासीः ग्राम झराना खुर्द तहसील फागी, जिला जयपुर।

24. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

25. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजावत एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री शेरसिंह नरूका एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 1 ल. 9, व 11 ल. 20 एवं 23

निर्णय दिनांकः **13/04/2017**

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 109 के आराजी खसरा नंबर 40, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 99, 198 कुल किता 14 कुल रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा व खाता संख्या 110 के आराजी खसरा नंबर 58, 59, 60, 61, 62 कुल किता 5 कुल रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा व खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नंबर 147, 148, 153/1102 कुल किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम झराना खुर्द पटवार हल्का भांकरोटा भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसे नीचे दिये गये परिशिष्ठ में वास्तविक कब्जेकाश्त एवं बाहमी बंटवारे अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बांट रखी है जो निम्न प्रकार है। खसरा नंबर 40, 66, 70 सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 99 अजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 198 बजरंग सिंह पुत्र फतेह सिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 53, 54, 55, 56, 57 बजरंगसिंह, भंवरसिंह पिता फतेहसिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 63, 69 मूल सिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 64 जगदीश सिंह पुत्र रतन सिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 65 जगदीश सिंह पुत्र जमनसिंह, अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह समस्त हिस्सा 1/6, चेनसिंह, अजीत सिंह, बजरंग सिंह, भंवर सिंह पुत्रान फतेह सिंह हिस्सा 1/3, मूलसिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा 1/6, सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह हिस्सा 1/3, खसरा नंबर 58 अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह समस्त हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 59, 60 सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 61 अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह, समस्त हिस्सा 1/2 शेष 1/2 हिस्सा जगदीश सिंह पुत्र जतनसिंह, खसरा नंबर 62 चेनसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा संपूर्ण, खसरा नंबर 147, 148, 153/1102 मूलसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 1/6, सोहनसिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह हिस्सा 1/2 एवं दिनेश कुमार आकड पुत्र श्री भगवान सहाय आकड हिस्सा 1/3 है। उक्त परिशिष्ट में वर्णित हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से चले आ रहे कब्जेकाश्त के अनुसार उक्त आराजी का बाहमी बंटवारा पूर्व में कर अपना अपना हिस्सा कायम कर अन्य आराजी में समायोजित कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 21 नाम के खातेदार ग्राम झराना में कभी नहीं रहे उक्त नाम पर्चा सैटलमेन्ट संवत् 2011 से संवत् 2030 की खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज हो गया जबकि उक्त नाम के कोई व्यक्ति नहीं है व ना ही कभी उक्त नाम के खातेदार ने काश्त की उक्त खातेदारान के हिस्से को वादी व शेष प्रतिवादीगण आपसी समझाईस कर वर्णित परिशिष्ठ के अनुसार हिस्सा तय कर काश्त करते आये है इसलिये प्रतिवादी संख्या 10 व 21 के नाम दर्ज आराजी परिशिष्ठ में वर्णित हिस्सेनुसार पक्षकारान की है जिससे प्रतिवादी संख्या 10 व 21 का नाम विलोपित किया जाकर परिशिष्ठ में वर्णित पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 21 को छोडकर अन्य प्रतिवादीगण की मौरूसी मुश्तर्का रही है जिस पर कब्जाकाश्त पक्षकारान के पूर्वजो के समय से उक्त परिशिष्ठ में वर्णितानुसार उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आये है जिसका बाहमी बंटवारा काफी वर्षो पूर्व ही कर लिया तथा संवत् 2011 में एक ही राजस्व गांव झराना कायम थ जिसके बाद दो अलग गांव झराना खुर्द व झोपडिया कायम की गई जिसके अनुसार पक्षकारान की उक्त आराजी उक्त तीनो गांवो में वर्तमान में दर्ज चली आ रही है जिसको पुराने कब्जेकाश्त अनुसार वाके ग्राम झराना खुर्द में स्थित उक्त विवादित आराजी परिशिष्ठ में वर्णित पक्षकारान को संभलाई गई व इसकी एवज में अन्य गांव झराना खुर्द में परिशिष्ठ में वर्णित विलोपित हिस्से को हिस्सा छोडने वाले खातेदारान ने इन गांवो में अपना हिस्सा पूर्व से ही प्राप्त कर रखा है जिसमें परिशिष्ठ में हिस्सा लेने वालो का हिस्सा नहीं रहा जिसके अनुसार संपूर्ण गांवो की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

आराजी को जोडने पर पक्षकारान के मध्य हिस्सा बराबर अर्थात अपने दर्ज हिस्सेनुसार आराजी कब्जेकाश्त में प्राप्त हो रखी है परन्तु वर्तमान में संपूर्ण आराजी अलग अलग गांवो में समस्त पक्षकारान के नाम दर्ज है जिसमे प्रतिवादी संख्या 10 व 21 का कोई संबंध सरोकार नहीं उक्त आराजीयात से नहीं रहा है जिनके हिस्से को संवत् 2011 से ही अन्य पक्षकारान ने बंटवारा कर काश्त करते आये है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 10 व 21 के नाम दर्ज आराजी के परिशिष्ठ में वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज एक जगह रहते थे तथा संख्या में कम थे समयानुसार उक्त खातेदारान के वारिसान बढते गये व खातेदारी आराजी पूर्व में विभाजित बंटवारे अनुसार काश्त करते रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सभी हिस्सेदारान का नाम दर्ज होने से दर्ज हिस्सेनुसार काश्त करना मुनासिफ नहीं है इसी को मध्यनजर रखते हुये पूर्वजो ने अपने हिस्से अलग कायम कर रखे है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारान का हिस्सा व नाम दर्ज होने से वादी को अपने हक व हिस्से की घोषणा हेतु ये वाद घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त आराजी बाहमी बंटवारा कर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 व 21 को छोडकर काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत तकासमा नहीं होने से पक्षकारान में आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद व झगडा उत्पन्न हो जाता है जिसके लिये वादी को यह वाद घोषणा खातेदारी के साथ तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है जिसे वर्णित परिशिष्ठ के अनुसार तकासमा किया जाकर खाते अलहदा अलहदा किये जाकर लगान की फेटबंदी कायम किया जाना न्यायोचित होगा। विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारान के नाम दर्ज होने से अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बेचान करने की आयेदिन ऐलानिया धमकियां देते है एवं बिना तकासमा व बिना बंटवारा वर्णित परिशिष्ट के किये करने पर उतारू है तथा अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन, बेय, मुन्तकिल कर देगे तो वादी व संबंधित परिशिष्ठ में वर्णित हिस्सेदारान को भयंकर नुकसान होगा इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हुआ है इसलिये वादी को यह वाद घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजमी हुआ है। हाल ही में दिनांक 10/10/2014 को वादी ने प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

10 व 21 को छोडकर अन्य प्रतिवादीगण से वर्णित परिशिष्ठ व मौके व कब्जेकाश्त एवं बाहमी बंटवारे अनुसार हिस्से नाम करवाने की एवं तकासमा करवाने की कही तो प्रतिवादीगण आवेश में आ गये व अपना हिस्सा हर जगह लेने की धमकियां देने लगे व बेचान कर बेदखल करने की धमकियां भी देने लगे इसलिये वादी को यह वाद अपने हक व हिस्से की घोषणा खातेदारी व तकासमा करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 10 व 21 का नाम केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जिनका कभी कब्जाकाश्त उक्त विवादित आराजी पर नहीं रहा है व ना ही उक्त नाम के कोई व्यक्ति झराना खुर्द व झराना में संवत् 2011 में रहा है ना ही इससे पूर्व रहा और ना ही वर्तमान में कोई व्यक्ति रहते है केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने से इन्हे पक्षकार कायम किया गया है जिनका नाम विलोपित किया जाकर परिशिष्ठ में वर्णित हिस्सेनुसार खातेदारी किया जाना न्यायोचित होगा। प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आराजी अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने का नाजायज फायदा उठाकर एवं बिना तकासमा आराजी का बेचान गलत रूप से दीगर व्यक्ति को कर वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करे जबकि वादी को यह हक व अधिकार प्राप्त हे कि वो प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा दे। प्रतिवादी संख्या 24 भूमि धारक होने एवं प्रतिवादी संख्या 25 उपपंजीयक होने के कारण इन्हे मुकदमे हाजा में तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वाद में वर्णित परिशिष्ठ मद नंबर क के अनुसार पक्षकारान खातेदार काश्तकारान है। विवादग्रस्त आराजी का वर्णित परिशिष्ठ व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तकासमा किया जाकर खाते अलहदा अलहदा किये जाकर लगान की फेटबंदी किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं इस आशय की तहरीर प्रतिवादी संख्या 24 को भेजी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी भूमि वर्णित वाद पत्र में वादी के कब्जे काश्त उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपभोग में मजामहत पैदा न करे न आराजी भूमि को रहन, बेचान, बैय, मुन्तकिल करे वादी को शांति पूर्वक काबिज काश्त रहने दे आराजी भूमि से बेदखल न करे न करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 08.09.2015 को वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 10, 21 व 22 की तलबी जरिये अखबार साया करवाने हेतु पेश किया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये अखबार साया करवाने के आदेश दिये गये। दिनांक 29.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व 11 लगायत 20 एवं 23 की ओर से श्री शेरसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10, 21 व 22 के विरूद्व अखबार साया प्रकाशन द्वारा तामील होने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 03.12.2015 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 15.12.2015 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.08.2017 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9, 11 लगायत 20 एवं 23 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में जगदीश पुत्र जतन सिंह झराना, दौलतराम पुत्र रतनलाल बैरवा झराना, जमनालाल पुत्र श्योजीराम जाट झोपडिया, प्रभु पुत्र लालाराम झरानाखुर्द के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, शामिल पत्रावली किये गये। पैरोकार राज. ने उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 24 व 25 तरतीबी पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 24 व 25 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं बताया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, इकबालिया जवाबदावा, शपथ पत्र जगदीश पुत्र जतन सिंह झराना, दौलतराम पुत्र रतनलाल बैरवा झराना, जमनालाल पुत्र श्योजीराम जाट झोपडिया, प्रभु पुत्र लालाराम झरानाखुर्द इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी, फागी (जयपुर)

किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मे पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान वादी द्वारा चाहा गया तकासमा का अनुतोष खारिज किये जाने पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की है, जिस पर वकील वादी ने अपनी पूर्ण सहमति दी है, न्यायहित में मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम झराना खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात खसरा नंबर 40, 66 व 70 का सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को खातेदार, खसरा नंबर 99 का अजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह को, खसरा नंबर 198 का भीमसिंह पुत्र बजरंग सिंह, कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह, विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह को, खसरा नंबर 53, 54, 55, 56 एवं 57 का भीमसिंह पुत्र बजरंग सिंह, कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह, विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह, भंवरसिंह पिता फतेहसिंह को, खसरा नंबर 63, 69 का मूल सिंह पुत्र नारायण सिंह को, खसरा नंबर 64 का जगदीश सिंह पुत्र रतन सिंह को, खसरा नंबर 65 में जगदीश सिंह पुत्र जमनसिंह, अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह को हिस्सा 1/6 का, चेनसिंह, अजीत सिंह, भीमसिंह पुत्र बजरंग सिंह, कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह, विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह, भंवर सिंह पुत्रान फतेह सिंह को हिस्सा 1/3 का, मूलसिंह पुत्र नारायण सिंह को हिस्सा 1/6 का, सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को हिस्सा 1/3 का, खसरा नंबर 58 का अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह को, खसरा नंबर 59, 60 का सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को, खसरा नंबर 61 में अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह, को हिस्सा 1/2 का एवं शेष 1/2 हिस्सा का जगदीश सिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

जतनसिंह को खातेदार, खसरा नंबर 62 का चेनसिंह पुत्र फतेहसिंह को, खसरा नंबर 147, 148, 153/1102 में मूलसिंह पुत्र नारायणसिंह को हिस्सा 1/6, सोहनसिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को हिस्सा 1/2 एवं दिनेश कुमार आकड पुत्र श्री भगवान सहाय आकड को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा चाहा गया तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

जगदीश सिंह
बनाम
अन्नू कंवर व अन्य

::– वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 267/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम झराना खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात खसरा नंबर 40, 66 व 70 का सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को खातेदार, खसरा नंबर 99 का अजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह को, खसरा नंबर 198 का भीमसिंह पुत्र बजरंग सिंह, कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह, विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह को, खसरा नंबर 53, 54, 55, 56 एवं 57 का भीमसिंह पुत्र बजरंग सिंह, कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह, विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह, भंवरसिंह पिता फतेहसिंह को ..... शेष विवरण पुश्त पर अंकित है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/04/2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	Nil		बबत इजराय हुक्मनामा	Nil	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

खसरा नंबर 63, 69 का मूल सिंह पुत्र नारायण सिंह को, खसरा नंबर 64 का जगदीश सिंह पुत्र रतन सिंह को, खसरा नंबर 65 में जगदीश सिंह पुत्र जमनसिंह, अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह को हिस्सा 1/6 का, चेनसिंह, अजीत सिंह, भीमसिंह पुत्र बजरंग सिंह, कमलेश कंवर पत्नि बजरंग सिंह, विनोद कंवर पुत्री बजरंग सिंह, भंवर सिंह पुत्रान फतेह सिंह को हिस्सा 1/3 का, मूलसिंह पुत्र नारायण सिंह को हिस्सा 1/6 का, सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को हिस्सा 1/3 का, खसरा नंबर 58 का अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह को, खसरा नंबर 59, 60 का सोहन सिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को, खसरा नंबर 61 में अन्नू कंवर पत्नि मोती सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह, जयसिंह पुत्र मोती सिंह, इन्दू कंवर पुत्री मोती सिंह, राजकंवर पुत्री मोती सिंह, को हिस्सा 1/2 का एवं शेष 1/2 हिस्सा का जगदीश सिंह पुत्र जतनसिंह को खातेदार, खसरा नंबर 62 का चेनसिंह पुत्र फतेहसिंह को, खसरा नंबर 147, 148, 153/1102 में मूलसिंह पुत्र नारायणसिंह को हिस्सा 1/6, सोहनसिंह, राघवेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम सिंह पुत्रान छीतर सिंह को हिस्सा 1/2 एवं दिनेश कुमार आकड पुत्र श्री भगवान सहाय आकड को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा चाहा गया तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)